जय प्रकाश विश्वविद्यालय
राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा–841302, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY
RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841302, BIHAR (INDIA)

WWW. jpv.ac.in

Letter No. 330/DSW Dated 06-05-2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रभारी प्राचार्य,
सभी अंगीभूत / संबद्ध महाविद्यालय,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा अन्तर्गत।

विषयः– मुख्यमंत्री कन्या (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन डेटा संकलन एवं सत्यापित आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः– उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 15 / प्र–1–147 / 2021–642 दिनांक 04.05.2026

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों का आवश्यक विवरण विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन लिंक (https://jpv.bihar-ums.com/studentapplicationmkuy/verify) के माध्यम से संकलित किया जाना है। इसके उपरांत लाभार्थियों द्वारा भरे गए आवेदन–पत्र का प्रिंट–आउट, आवश्यक स्वप्रमाणित अभिलेखों सहित, संबंधित महाविद्यालय में जमा किया जाएगा।

संबंधित महाविद्यालय द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी / अधिकृत कर्मी के माध्यम से आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं का महाविद्यालय / विश्वविद्यालय अभिलेखों से मिलान एवं सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। जाँचे गए एवं विधिवत सत्यापित सभी आवेदन–पत्रों को प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य के अग्रसारण पत्र के साथ विश्वविद्यालय को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं। सभी संबंधित महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे संलग्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि लाभार्थियों को छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में डेटा मिसमैच अथवा अभिलेखीय त्रुटि के कारण कोई बाधा उत्पन्न न हो।

संलग्नकः अनुलग्नक–I –दिशा–निर्देश
अनुलग्नक–II – राज्य सरकार का पत्र।

udayan 6.5.2026

नोडल पदाधिकारी
मुख्यमंत्री कन्या (स्नातक) प्रोत्साहन योजना

06.5.2026

दिशा–निर्देश

संदर्भित सरकारी पत्र के आलोक में छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों से डेटा संकलन, सत्यापन एवं विश्वविद्यालय को प्रेषण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. प्रत्येक पात्र लाभार्थी छात्रा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन लिंक (https://jpv.bihar-ums.com/studentapplicationmkuy/verify) के माध्यम से स्वयं आवेदन/विवरण भरेंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन/फॉर्म भरने के उपरांत लाभार्थी उसका प्रिंट–आउट निकालेंगे तथा आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करेंगे।
    - स्नातक तृतीय वर्ष का अंकपत्र की छायाप्रति,
    - विश्वविद्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
    - आधार की छायाप्रति
3. लाभार्थी द्वारा भरे गए आवेदन–पत्र का प्रिंट–आउट एवं संलग्न स्वप्रमाणित अभिलेख संबंधित/संबद्ध महाविद्यालय में निर्धारित समय–सीमा के भीतर जमा किया जाएगा।
4. संबंधित महाविद्यालय के नामित नोडल पदाधिकारी/अधिकृत कर्मी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गई सभी सूचनाओं का विश्वविद्यालय अभिलेखों/महाविद्यालय अभिलेखों/पंजीयन अभिलेखों/ परीक्षा संबंधी अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।
5. सत्यापन के क्रम में निम्न सूचनाओं की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी –
    - छात्रा का नाम,
    - पिता का नाम,
    - जन्मतिथि,
    - पंजीयन / नामांकन संख्या,
    - पाठ्यक्रम,
    - सत्र,
    - उत्तीर्णता संबंधी विवरण तथा अन्य आवश्यक सूचना।
6. जिन आवेदन–पत्रों में त्रुटि/अपूर्णता/डेटा मिसमैच पाया जाए, उन्हें महाविद्यालय स्तर पर संबंधित लाभार्थी से सुधार कराकर ही सत्यापित किया जाए।
7. केवल पूर्ण, जाँचे गए एवं विधिवत सत्यापित आवेदन–पत्र ही विश्वविद्यालय को भेजे जाएँगे।
8. सभी सत्यापित आवेदन–पत्रों एवं संलग्न अभिलेखों को महाविद्यालय द्वारा समेकित कर प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य के अग्रसारण पत्र के साथ विश्वविद्यालय को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व उपलब्ध कराना होगा।
9. अग्रसारण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि संबंधित आवेदन–पत्रों में भरी गई सूचनाओं का महाविद्यालय अभिलेखों से मिलान एवं सत्यापन कर लिया गया है।
10. निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन–पत्रों अथवा अभिलेखों के कारण यदि किसी लाभार्थी का छात्रवृत्ति लाभ प्रभावित होता है, तो इसकी जवाबदेही संबंधित महाविद्यालय / नोडल पदाधिकारी / सत्यापनकर्ता की होगी।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक:

https://jpv.bihar-ums.com/studentapplicationmkuy/verify

or QR code